

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(26)एमई/ग्रुप-1/2019पार्ट

जयपुर, दिनांक : 8/6/2021

आदेश

कोविड-19 महामारी संक्रमण के वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 56 के परन्तुक में शिथिलन प्रदान करते हुए इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या प.1(2)चिशि/ग्रुप-1/2017 पार्ट दिनांक 17.04.2018 में अंकित प्रशासनिक पदों पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों का कार्यकाल 62 वर्ष पश्चात 2 वर्ष अर्थात दिनांक 30.06.2022 तक बढ़ाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 102102362 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

LI
8/6/2021
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
7. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
10. सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक।
11. रक्षित पत्रावली।

LI
8/6/2021
संयुक्त शासन सचिव